<u>LEGISLATIVE ASSEMBLY</u> NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)
Wednesday, 04 October 2017 / 12 Ashwin 1939 (Saka)

No. 59 2.07 PM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

National Song (Vande Mataram)

1. 2.08 PM **Obituary References :**

The House paid homage and observed two minute silence on the sad demise of:

- 1. Air Marshall Arjan Singh
- 2. People who lost their lives in the recent railway accidents
- 3. Shri Gurpreet Singh who was allegedly murdered in Delhi
- 4. Workers who lost their lives while cleaning sewers in Delhi

2. 2.14 PM Welcome of Members:

The Chair introduced the newly elected Member of Legislative Assembly, Shri Ram Chander, (Bawana, AC-07) to the House and also welcomed Shri Om Prakash Sharma, Member of BJP who had returned to the House after completing his period of suspension for two sessions.

3. 2.25 PM Introduction, Consideration and Passing of Bill:

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister introduced 'Regularisation of Services of Guest Teachers and Teachers engaged under the 'Sarva Shiksha Abhiyan' Bill, 2017" (Bill No. 07 of 2017) with the leave of the House.

The Deputy Chief Minister also moved that the aforesaid Bill be taken into consideration.

The following Members participated in the discussion:

- 1. Shri Saurabh Bharadwaj
- 2. Shri Prayeen Kumar
- 3. Ms. Alka Lamba
- 4. Shri Rajesh Gupta
- 5. Shri Manjinder Singh Sirsa
- 6. Shri Nitin Tyagi
- 7. Ms. Bhavna Gaur
- 8. Shri Mohinder Goel
- 9. Shri Jarnail Singh
- 10. Shri Madan Lal
- 11. Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition
- 12. Shri Somnath Bharti
- 13. Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Labour

The Hon'ble Deputy Chief Minister replied to the discussion.

The Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister also made a brief statement.

(Members of BJP walked out from the House)

4. 5.38 PM The Bill was considered clause-wise.

Hon'ble Deputy Chief Minister moved that the 'Regularisation of Services of Guest Teachers and Teachers engaged under the 'Sarva Shiksha Abhiyan' Bill, 2017" (Bill No. 07 of 2017) be passed.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

- 5. 5.40 PM House adjourned for tea break
- 6. 6.25 PM House reassembled

Hon'ble Speaker in-Chair.

- 7. 6.25 PM Motions seeking extension of time for submission of Committee Reports :
 - I Shri Somnath Bharti moved the following Motion:

"That this House agrees to extend the time for submission of the Report of the 'Special Inquiry Committee to investigate alleged illegal restoration of cancelled license of a ration shop in Burari'. The Committee shall submit its report to the Hon'ble Speaker before the commencement of the Seventh Session of the Sixth Legislative Assembly."

The Motion was adopted by voice vote.

II Ms. Bhavna Gaur moved the following Motion:

"That this House agrees to extend the time for submission of the Report of the 'House Committee on Municipal Corporations in Delhi'. The Committee shall submit its report to the Hon'ble Speaker before the commencement of the Seventh Session of the Sixth Legislative Assembly."

The Motion was adopted by voice vote.

III Shri Saurabh Bharadwaj moved the following Motion:

"That this House agrees to extend the time for submission of the Report of the 'Special Inquiry Committee to probe alleged irregularities and corruption in bodies that are administering the games of Cricket and Hockey in NCT of Delhi'. The Committee shall submit its report to the Hon'ble Speaker before the commencement of the Seventh Session of the Sixth Legislative Assembly."

The Motion was adopted by voice vote.

8. 6.26 PM Government Resolution (Rule-90):

Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Transport moved the following Resolution with the leave of the House:

"The Legislative Assembly of NCT of Delhi having its sitting in Delhi on 04 October, 2017:

Taking note of the fact that the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has once again proposed to steeply hike the passenger fare with effect from 10 October, 2017 against the wishes of the Government of NCT of Delhi and in gross violation of recommendations of the Fare Fixation Committee;

Expressing Serious concern that such anti-people proposal is sought to be implemented when the common man is already reeling under severe financial burden imposed by poor implementation of GST, demonetization unprecedented price rise, hike in fuel prices and general economic mismanagement by the Centre;

Dismayed with the insensitive approach of those responsible for proposed fare hike without any concern for common people who are struggling to make ends meet at a time when the country's economy is on a tail spin;

Worried about the obvious negative impact of fare hike on livelihood of common people, environment and traffic flow;

Calls upon all the stakeholders to stop forthwith the implementation of the proposed fare hike by DMRC;

Appeals to the Government of India to take into consideration the pro-people concerns raised by the Government of NCT of Delhi;

and

Urges upon the Ministry of Urban Development, Government of India to quickly and actively intervene so that the proposed unlawful and anti-people fare hike is reversed in the interest of common people and the environment."

The Chair announced that the discussion on the Resolution would be taken up later.

9. 6.29 PM Motions seeking extension of time for submission of Committee Reports:

IV Shri Akhilesh Pati Tripathi moved the following Motion:

"That this House agrees to extend the time for submission of the Report of the 'Special Inquiry Committee to investigate alleged irregularities in award of a contract to M/s ESP India Pvt. Ltd. by the Transport Department of the Government of NCT of Delhi'. The Committee shall submit its report to the Hon'ble Speaker before the commencement of the Seventh Session of the Sixth Legislative Assembly."

The Motion was adopted by voice vote.

10. 6.30 PM Ruling of the Chair on Message received from the Hon'ble Lieutenant Governor:

The Chair informed the House that the Hon'ble Lieutenant Governor had sent a Message to the House.

He sought the approval of the House to extend the sitting of the House by one day to consider the Message on 09 October, 2017.

The House agreed to consider the Message on 09 October, 2017.

11. 6.31 PM The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Monday, 09 October, 2017.

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समाचार भाग–1 कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

बुधवार, 04 अक्टूबर, 2017 / अश्विन 12, 1939 (शक)

संख्य	T-59
2.07	बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए। राष्ट्रीय गीत – वन्दे मातरम्

1 2.08 बजे निधन संबंधी उल्लेख:

सदन द्वारा निम्नलिखित के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई तथा दो मिनट का मौन धारण किया गया :--

- 1. एयर मार्शल अर्जन सिह
- 2. हाल ही में हुए रेल हादसों में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के प्रति
- 3. श्री गुरप्रीत सिंह, जिनकी दिल्ली में कथित रूप से हत्या कर दी गई
- 4. दिल्ली में सीवर की सफाई के दौरान जान गंवाने वाले सफाई कर्मियों के प्रति

2 2.14 बजे सदस्यों का स्वागतः

अध्यक्ष महोदय ने नवनिर्वाचित माननीय सदस्य श्री राम चन्द्र (बवाना विधानसभा क्षेत्र संख्या—07) का सदन को परिचय दिया और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा का भी स्वागत किया, जो दो सत्रों के निलम्बन की अविध को पूरा करने के बाद सदन में उपस्थित हुए थे।

3 2.25 बजे विधेयक का पुर:स्थापन, विचार करना और पारित करना :

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उपमुख्यमंत्री ने सदन की अनुमित से "अतिथि शिक्षक तथा 'सर्व शिक्षा अभियान' के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं का नियमन विधेयक, 2017" (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या—07) को पुरःस्थापित किया।

उप मुख्यमंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक पर विचार किया जाये। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

- 1. श्री सौरभ भारद्वाज
- 2. श्री प्रवीण कुमार
- 3. सुश्री अलका लाम्बा
- 4. श्री राजेश गुप्ता
- 5. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
- 6. श्री नितिन त्यागी
- 7. सुश्री भावना गौड़
- 8. श्री महेन्द्र गोयल
- 9. श्री जरनैल सिंह
- 10. श्री मदन लाल
- 11. श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष
- 12. श्री सोमनाथ भारती
- 13. श्री गोपाल राय, माननीय श्रम मंत्री

माननीय उप मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने भी संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

4 5.38 बजे विधेयक पर खंडवार विचार हुआ।

माननीय उपमुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन में पुरःस्थापित "अतिथि शिक्षक तथा' सर्व शिक्षा अभियान' के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं का नियमन विधेयक, 2017" (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या—07) को पारित किया जाये।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।

- 5 5.40 बजे सदन जलपान अवकाश के लिए स्थगित हुआ।
- 6 6.15 बजे सदन पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

7 6.25 बजे सिमितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समयाविध बढ़ाने के लिए प्रस्ताव :

क) श्री सोमनाथ भारती ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

"यह सदन **बुराड़ी में राशन की एक दुकानके निरस्त लाइसेंस के तथाकथित अवैध पुनः स्थापन की जांच के लिए विशेष जांच समिति** के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति अध्यक्ष महोदय को, अपना प्रतिवेदन छठी विधानसभा के सातवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।" प्रस्ताव ध्विन मत से स्वीकार हुआ।

ख) सुश्री भावना गौड़ ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

"यह सदन **दिल्ली के नगर निगमों के लिए सदन की समिति** के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयाविध बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति अध्यक्ष महोदय को, अपना प्रतिवेदन छठी विधानसभा के सातवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।"

प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।

ग) श्री सौरभ भारद्वाज ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः

"यह सदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में हाकी और किकेट खेलों की प्रशासनिक व्यवस्था करने वाले निकायों में कथित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए विशेष जांच समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयाविध बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति अध्यक्ष महोदय को, अपना प्रतिवेदन छठी विधानसभा के सातवें सत्र के प्रारम्भ से होने से पहले प्रस्तुत करेगी।"

प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।

8 6.26 बजे **सरकारी संकल्प (नियम–90)** :

श्री कैलाश गहलौत, माननीय परिवहन मंत्री ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित सरकारी संकल्प प्रस्तुत कियाः

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधानसभा दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में : इस तथ्य पर **गौर करते हुए** कि दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन (डी.एम.आर.सी.) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की इच्छा के विरूद्ध तथा किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों का घोर उल्लंघन करके दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 से यात्री किराये में भारी बढोतरी का एक बार फिर प्रस्ताव किया है,

यह गम्भीर चिंता व्यक्त करते हुए कि इस जन—विरोधी प्रस्ताव को ऐसे समय पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जब केन्द्र द्वारा जीएसटी के खराब कियान्वयन, विमुद्रीकरण, अभूतपूर्व महंगाई, ईंधन की दरों में वृद्धि और अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के कारण अत्यधिक वित्तीय बोझ के नीचे आम आदमी पहले ही दबा हुआ है,

प्रस्तावित किराया बढ़ोतरी के जिम्मेदार व्यक्तियों के असंवेदनशील रवैये के प्रति **निराशा व्यक्त करते हुए,** जिन्होंने उन आम लोगों की चिंता नहीं की, जो ऐसे समय में जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं जब देश की अर्थव्यवस्था रेंग रही है,

आम लोगों के जीवन, पर्यावरण तथा ट्रैफिक प्रवाह पर किराया बढ़ोतरी के स्पष्ट नकारात्मक प्रभाव के प्रति **चिंता** जाहिर करते हुए,

सभी सांझीदारों से डीएमआरसी के प्रस्तावित किराया बढ़ोतरी के कियान्वयन को तत्काल रोकने का आग्रह करती है,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जाहिर की गई जनहित से जुड़ी चिंताओं पर विचार करने के लिए भारत सरकार से **अपील करती है**

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से तीव्रतापूर्वक और सिक्यतापूर्वक हस्तक्षेप करने के लिए **आग्रह करती है** तािक प्रस्तािवत गैरकानूनी और जनविरोधी किराया वृद्धि को आम लोगों और पर्यावरण के हित में वािपस लिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि संकल्प पर चर्चा बाद में की जायेगी।

9 6.29 बजे समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव :

घ) श्री अखिलेश पति त्रिपाठी ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः

"यह सदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा भै० ई.एस.पी. इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को संविदा जारी करने में कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए विशेष जांच समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयाविधे बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति अध्यक्ष महोदय को, अपना प्रतिवेदन छठी विधानसभा के सातवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।"

प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।

10 6.30 बजे माननीय उपराज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश पर अध्यक्ष महोदय की व्यवस्थाः

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने सदन को एक संदेश प्रेषित किया है। उन्होंने संदेश पर दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को विचार करने के लिए सदन की बैठक एक दिन बढ़ाने के लिए सदन की अनुमति चाही।

सदन दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को सदेश पर विचार करने के लिए सहमत हुआ।

11 6.31 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को अपराहन 2.00 बजे तक के लिए स्थिगित की।

दिल्ली 04 अक्टूबर, 2017 प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा सचिव